बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

**आदेश**

पटना, दिनांक ..................................

संख्या–08 / आ०–05–66 / 2024....................... / विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा, शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक 39 / गो० दिनांक 19.05.2025 द्वारा श्रीमती सुमन कुमारी, सेवा निवृत प्रखण्ड शिक्षिका, रा०उ०म०वि० यशपरहा, जन्दाहा, वैशाली के परिवाद पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–सचिव प्रखंड नियोजन इकाई, जन्दाहा द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अवकाश अवधि के लंबित वेतन भुगतान में हुए विलंब के संबंध में दिये गये निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के पत्रांक 186(उच्च) दिनांक 20.05.2025 द्वारा श्री नीतिश्वर महतो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली–सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 478 दिनांक 20.05.2025 द्वारा उक्त प्रतिवेदित आरोप के समीक्षोपरांत श्री महतो द्वारा अपने कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं श्री महतो के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 568 दिनांक 18.06.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गयी।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 988 दिनांक 25.09.2025 द्वारा विस्तृत जाँच के निमित्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। संचालन पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना एवं उपस्थापन पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली को नामित किया गया एवं श्री महतो की सेवानिवृति की तिथि 30.09.2025 रहने के कारण उन्हें दिनांक 25.09.2025 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 380 दिनांक 31.12.2025 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संबंध में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 122 दिनांक 20.01.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया है कि :–

श्रीमती सुमन कुमारी, सेवानिवृत नियोजित प्रखण्ड शिक्षिका रा०उ०म०वि० यशपरहा, जन्दाहा, वैशाली के चिकित्सा अवकाश के अवधि के वेतन भुगतान हेतु दिए एक अभ्यावेदन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) वैशाली के द्वारा निदेशित किये जाने के बावजूद शिक्षक / शिक्षिका के मातृत्व अवकाश / चिकित्सा

अवकाश आदि का विपत्र जिला कार्यक्रम को उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि श्रीमती सुमन कुमारी द्वारा दिनांक 06.07.2022 से 05.08.2022 तक चिकित्सा अवकाश की अवधि के वेतन भुगतान हेतु दिनांक 21.11.2022 को दिये गये आवेदन के आलोक में तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा के पत्रांक 612 दिनांक 12.12.2022 के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली को विपत्र संधारित कर प्रेषित किया गया परन्तु सुमन कुमारी का दूसरा आवेदन जो दिनांक 01.08.2023 से 15.09.2023 तक चिकित्सा अवकाश की अवधि का वेतन भुगतान संबंधी था, जिसको श्री महतो द्वारा लंबित रखा गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती सुमन कुमारी के द्वितीय कालावधि दिनांक 01.08.2023 से 15.09.2023 तक चिकित्सा अवकाश के वेतन भुगतान हेतु आवेदन दिनांक 11.11.2023 पर संज्ञान नहीं लेने हेतु श्री महतो को आंशिक रूप से दोषी प्रमाणित किया गया है। तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) वैशाली के पत्रांक 2937(स्था०) दिनांक 23.06.2023 एवं पत्रांक 2615(स्था०) दिनांक 05.06.2023 द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत एवं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान में वैद्य रूप से कार्यरत शिक्षकों के मातृत्व अवकाश/रुग्नावकाश का विपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश है उसके बावजूद भी श्रीमती सुमन कुमारी के द्वितीय कालावधि दिनांक 01.08.2023 से 15.09.2023 तक चिकित्सा अवकाश के वेतन भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 11.11.2023 पर संज्ञान नहीं लेने हेतु श्री महतो को आंशिक रूप से दोषी प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। कार्यालय प्रधान होने के नाते संबंधित कार्यालय में प्राप्त सभी पत्रों के निष्पादन की जिम्मेदारी इनकी है। अतएव प्राप्त लिखित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत श्री नीतिश्वर महतो, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली–सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करने के लिए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती का दंड 3 (तीन) वर्ष के लिए अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
**(विक्रम विरकर)**
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–08/आ०–05–66/2024 529/
पटना, दिनांक 21/04/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा–17/जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली–सह–उपस्थापन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/ श्री नीतिश्वर महतो, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा–वैशाली–सम्प्रति–सेवानिवृत्त स्थायी पताः–ग्राम–जारंग गोटोली, पो०–जारंग ड्योढ़ी, थाना– गायघाट जिला–मुजफ्फरपुर, पिन कोड–843118 मो०नं०–9263933982/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)